जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

जीविका समाचार पत्रिका

।। माह – अगस्त 2022 ।। अंक – 25 ।। केवल आंतरिक वितरण हेतु।।

अन्दर के पृष्ठों में...

जीवन बीमा से
मिला सहारा
(पृष्ठ – 02)

वित्तीय समावेशन से
बदली जिंदगी
(पृष्ठ – 03)

वित्तीय समावेशन
एवं आजीविका
संबंधी गतिविधियां
(पृष्ठ – 04)

जीविका की पहल से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची बीमा की किरण

गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तीकरण के विशाल लक्ष्य के साथ जीविका परियोजना बिहार में क्रियाशील है। महिला सशक्तीकरण का आयाम बहुत व्यापक है। परियोजना एक साथ कई महत्वपूर्ण अवयवों को प्रभावी बनाकर ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए सघनता से प्रयासरत है। इन अवयवों में सामजिक विकास, वित्तीय समावेशन, कृषिगत हस्तक्षेप, कौशल विकास, गैर कृषि गतिविधियाँ, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि परियोजना के आरंभ से ही केंद्र बिंदु में रहे हैं।

इन बहुआयामी प्रयासों के बावजूद एक परिवार के स्तर पर कई अदृश्य जोखिम मौजूद रहता है। इन जोखिमों में जान–माल की असामयिक क्षति सबसे गंभीर है। इसलिए इस जोखिम को कम करने के उद्देश्य से परियोजना द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई। जीवन बीमा इसका बड़ा उदाहरण है। एक समय था जब ग्रामीण स्तर पर जीवन बीमा की पहुंच ना के बराबर थी। जीविका की पहलकदमी के बाद बीमा को परियोजना द्वारा संस्थागत बनाने का प्रयास किया गया। अगर कहा जाए कि जीवन बीमा के प्रति ग्रामीण समुदायों में जागरूकता लाने का श्रेय जीविका को जाता है, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। वर्त्तमान समय में जीविका अपने समुदायों को प्रेरित कर बड़े पैमाने पर उन्हें बीमित करवा रही है। जीविका की पहलकदमी के बाद जीवन बीमा अब दीदियों की प्राथमिकता में शामिल हो चुका है। निर्धन श्रेणी के ग्रामीण समुदायों को बीमा की सुविधा प्रदान करने लिए परियोजना मुख्य रूप से दो तरह की बीमा योजना की पहल करती है। पहला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

इस योजना के तहत 18 से 50 उम्र वर्ग की जीविका दीदियों का बीमा कराया जाता है। जीविका से जुड़े हुए विभिन्न श्रेणियों के सामुदायिक संवर्गों का बीमा भी इसी योजना के तहत किया जाता है। जबकि सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों का बीमा भी परियोजना द्वारा इसी योजना के तहत किया जाता है। इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति को 436 रुपये अपने बैंक के बचत खाता में जमा करना होता है। पूरे एक वर्ष की अवधि में अगर बीमित व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु होती है, तब उनके द्वारा नामित व्यक्ति को इस योजना के तहत कुल 2 लाख की सहायता राशि प्राप्त होती है। जीविका द्वारा राज्य में इस योजना के तहत कुल 47 लाख दीदियों को बीमित किया गया है। पिछले वर्ष कुल 200 लोगों को मृत्यु दावा की राशि भी उपलब्ध हो गयी है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष उम्र वर्ग के लोगों का बीमा कराया जाता है। इस योजना के तहत योग्य जीविका दीदियों, सामुदायिक सेवियों समेत सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों का बीमा कराया जाता है। इस योजना के लाभार्थियों को प्रीमियम के रूप में केवल 20 रुपये की राशि अपने बैंक बचत खाता पर जमा करना होता है। इस योजना के तहत अगर बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता हो जाती है तब उनके द्वारा नामित व्यक्ति को अधिकतम 2 लाख रुपये की सहायता राशि मिलती है।

दोनों श्रेणी के बीमा योजना को परियोजना द्वारा बड़े पैमाने पर हर वर्ष 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए कराया जाता है। एक परिवार में महिला सदस्य की मृत्यु उपरांत क्षति की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध होने से उत्पन्न परिस्थितयों से जूझने में काफी मदद मिलती है। इस योजना के तहत राज्य स्तर पर वर्ष 2022–23 की अवधि के लिए कुल 51.51 लाख जीविका दीदियों को बीमित किया गया।

जीवन की नहीं कोई भीमा जरूरी है सुरक्षा बीमा

पूर्णियाँ जिला के अमौर प्रखंड अंतर्गत धूरपैली पंचायत के सहनगाँव में मेजी बेगम अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण उनके पति बनारस में काम करते थे। मेजी बेगम को एक पुत्र और एक पुत्री थी। मेजी बेगम 2 सितंबर 2014 से मुस्कान जीविका महिला ग्राम संगठन अंतर्गत लाडली जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना / प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जीविका दीदियों का बीमा करवाया जा रहा था। इस दौरान उनके समूह में सी॰एम॰ के रुप में कार्य करने वाली गजाला खातुन ने दीदियों को बीमा करवाने का कार्य करते हुए मेजी बेगम के पास गई। पर उन्होंने बीमा करवाने से साफ इंकार कर दिया। कुछ दिन बाद पुन: विभिन्न स्तरों पर मेजी बेगम को काफी समझाया गया और उनसे यह कहा गया कि आपकी बीमा की प्रीमियम राशि अभी आपके बदले आपके समूह द्वारा जमा कर दिया जायेगा, तब वह बीमा कराने के लिए तैयार हुई। इस प्रकार मेजी बेगम का जीवन बीमा करवाया गया।

बीमित होने के कुछ दिन बाद मेजी बेगम की मौत प्रसव के दौरान हो गयी। जिसके बाद मेजी बेगम का मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवाया गया। सारे आवश्यक कागजात तैयार कर कार्यालय में जमा किया गया। कुछ दिन बाद नॉमिनी के रुप में अंकित उनके पति मकतूर आलम के बैंक खातें में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर की राशि 2,00,000 रुपये प्राप्त हुआ। स्वर्गीय मेजी बेगम के पति ने 50–50 हजार तीनों बच्चों के नाम से बैंक में जमा किया। समूह से लिए गए 10,000 रुपये ऋण ब्याज सहित जमा कर दिया। बांकी बचे पैसे से मकतूर आलम ने एक किराना दुकान खोल लिया। दुकान की आय से उनका घर सही तरीके से चल रहा है। तीनों बच्चों की देखभाल भी ठीक से हो रही है।

जीवन बीमा से मिला सहारा

पटना के बाढ़ प्रखंड स्थित नवादा पंचायत के मासूम गंज गांव की बुलबुल देवी प्रगति जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष थी। उनके पति बिजिन्द्र पासवान पेशे से राज मिस्त्री है। 9 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दीदी और उनके पति मिलकर उठाते थे। बुलबुल दीदी सरकारी विद्यालय में खाना बनाने के साथ–साथ अपने समूह से 20 हज़ार रुपये का ऋण लेकर गाय पालन भी करती थी। परिवार की आमदनी से घर खर्च निकल जाता था। छोटी–मोटी जरूरतों के लिए बुलबुल देवी अपने समूह से ऋण ले लेती थीं। वर्ष 2019 में भी अपने घर की मरम्मत के लिए अपने समूह से उन्होंने 11 हज़ार रुपये का ऋण लिया।

अपने 9 वे बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद बुलबुल देवी का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। पूरे परिवार का खर्च एवं समूह से लिया गया कर्ज बुलबुल देवी के पति के लिए चुकाना मुमकिन नहीं था। समूह की दीदियों ने दीदी के पति बिजेंद्र पासवान का हौसला बढ़ाया और उन्हें बताया कि समूह के द्वारा बुलबुल दीदी का बीमा कराया गया था। सारी प्रकिया उपरांत कुछ ही महीनों बाद बीमा के 2 लाख रुपये बुलबुल दीदी के परिवार को मिल गया। बीमा की उस रक़म से सबसे पहले दीदी के पति ने समूह से लिए गए ऋण को वापस कर दिया। बीमा के पैसों से बुलबुल के पति के द्वारा एक ई रिक्शा ख़रीदा गया, जिसे बुलबुल के पति और बड़ा पुत्र दोनों मिल कर चलाते हैं।

बीजेंद्र पासवान कहते है कि–"रिक्शा चला के प्रति दिन 500–600 रुपये की आमदनी हो जाती। मेरी पत्नी हमारे बीच नहीं है पर उसके हिस्से की ज़िम्मेदारी वो निभा गई। बीमा करवा कर उसने परिवार के लिए बहुत बड़ा काम किया था।" बुलबुल दीदी ने जब अपना बीमा करवाया होगा तब उन्हें अंदाज़ा भी नही होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उनके जाने के बाद मिली बीमा की रक़म ने उनके बच्चों एवं परिवार को संभाल लिया। बुलबुल देवी का परिवार आज उनके बिना ही सही पर एक अच्छी जिंदगी जी रहा हैं।

वित्तीय समावेशन से बदली जिंदगी

सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखंड के भंडारी पंचायत की भंडारी गांव की रहने वाली शांति देवी किरण जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। उनके परिवार में कुल चार सदस्य हैं। उनका परिवार बटाई पर खेती और मजदूरी का कार्य करता था। समूह में जुड़ने के बाद इन्होंने अपने समूह से ऋण लेकर खेती का कार्य प्रारंभ किया। इस कार्य से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा।

खेती का काम अच्छी तरह से करने हेतु शांति देवी को कृषि यन्त्रों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि की आवश्यकता होती थी परन्तु आर्थिक तंगी के कारण वह उसे भाड़े पर नहीं ले पाती थी। कभी–कभी इन उपकरणों को किराया पर लेकर काम भी करती थीं तो उससे उनके खेती का मुनाफा काफी कम हो जाता था। इन्हीं परेशानियों को दूर करने हेतु शांति देवी ने समूह से सहायता लेकर ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय लिया। इस बीच शांति देवी के किरण जीविका स्वंय सहायता समूह को बैंक द्वारा 1.5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया। बैंक ऋण की राशि मिलने के बाद उन्होंने समूह से 80 हज़ार रुपए ट्रैक्टर खरीदने के लिए मांग की जिसे समूह के अनुमोदन के बाद दे दिया गया। पैसा मिलने के बाद शांति देवी 80 हज़ार रुपए भुगतान करके एवं शेष राशि बैंक से फाइनेंस कराकर ट्रैक्टर खरीद ली। चूँकि शांति देवी के पति को ट्रैक्टर चलाना आता था इसलिए वह ट्रैक्टर चलाकर खेती के कार्य को पूरा करने लगे। धीरे–धीरे गांव के अन्य लोग भी उनका ट्रैक्टर किराया पर लेकर खेती का काम करने लगे जिससे उन्हें रोज की नकद आमदनी होने लगी। इसी आमदनी से उन्होंने ट्रैक्टर का ट्रेलर भी खरीद लिया, जिससे उन्हें खेती के साथ–साथ सामान ढुलाई का काम भी प्रतिदिन मिलने लगा जिससे उनकी आमदनी और भी बढ़ गयी। इस आमदनी के पैसे से वह ट्रैक्टर की शेष राशि का भुगतान प्रतिमाह किस्तों में चुकाने लगी। वर्त्तमान में शांति देवी का परिवार आर्थिक परेशानी से दूर एक जिंदगी गुजार रही है।

शांति देवी कहती हैं कि– "जीविका समूह से अगर 80 हज़ार रुपए ऋण नहीं मिलता तो आज हमारे पास ट्रैक्टर और अन्य उपकरण नहीं होता और हमारा परिवार आज भी आर्थिक परेशानी से बाहर नहीं निकल पाता।"

पपीता ने बदला प्रमिला का जीवन

समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत डीह सरसौना, बंगरा निवासी श्रीमती प्रमिला देवी पिछले 8 वर्षो से जीविका समूह से जुड़ी हैं। समूह से जुड़ने के पूर्व प्रमिला एक सामान्य महिला थीं। उनके पति के निधन के बाद उनके पास भरण–पोषण का संकट उत्पन्न हो गया। जीविका से लिए गए कई ऋण की मदद से उन्होंने खेती का कार्य किया। खेती की गतिविधियों से प्रमिला के परिवार का भरण–पोषण कठिनाईयों के बीच हो पा रहा था। दीदी कुछ नया करने का मन बना रही थीं, ताकि उनके परिवार की आर्थिक समस्या का निदान हो सके। वीआरपी की मदद एवं अन्य जीविकाकर्मियों की जानकारी के बाद प्रमिला ने पपीता की खेती प्रारंभ किया। इस कार्य के लिए उसने जीविका से एक लाख का बैंक ऋण लिया। इस ऋण की राशि से उन्होंने पपीता की खेती प्रारंभ की। छह कट्ठा जमीन में उन्होंने पूसा से उन्नत बीज लाकर अपने खेत में लगाया। लगभग 200 पेड़ उगा, जिसमें से अत्यधिक बर्षा के कारण लगभग 50 पेड़ खराब हो गया। बचे 150 पेड़ पर उन्होंने विशेष ध्यान देना शुरू किया।

प्रमिला बताती हैं कि–"पौधों की देखभाल में वीआरपी भैया मदद करते हैं और नई–नई जानकारी देते हैं।" प्रमिला कहती हैं कि प्रति पेड़ से लगभग एक विक्ंटल पपीता तक की उपज हो जाती है, जो बाजार में 30–35 रूपए प्रति किलो की दर से बिकती है। बिक्री के संबंध में प्रमिला बताती हैं कि मुख्य वितरक (होलसेलर) उनसे संपर्क करते हैं और घर पर आकर पपीता खरीदकर ले जाते हैं। प्रमिला के अनुसार उन्हें प्रतिमाह लगभग 5 हजार रूपए की आमदनी हो रही है। इस आमदनी से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। यही नहीं वह अपने खेत में थोड़ी–बहुत सब्जी भी उपजा रही हैं, इससे भी उनकी आय में वृद्वि हुई है। दोनों आय ने प्रमिला के परिवार का जीवन पूरी तरह बदल दिया है। प्रमिला के कार्य की सराहना विकास आयुक्त, बिहार, विश्व बैंक के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारियों ने भी किया है।

वित्तीय समावेशन एवं आजीविका संबंधी गतिविधियां

जीविका परियोजना के अन्तर्गत संस्था निर्माण, क्षमतावर्द्धन के पश्चात, गरीबों में गरीब परिवार का वित्तीय समावेशन एक आवश्यक घटक है। जहां गरीब परिवार वित्तीय रूप से संपोषित होकर आजीविका के विभिन्न स्वरूपों से जुड़ते हैं और गरीबी के दुष्चक को पार करते हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं।

वित्तीय समावेशन के मुख्य घटक :

- सबों का बचत खाता से जुड़ाव।
- ऋण से जुड़ाव।
- सूक्ष्म बीमा।
- धनांतरण।
- पेंशन।

बिहार में जीविका परियोजना की शुरूआत 2007 में 6 जिलों के 18 प्रखंडों से हुई। आज यह विस्तारित होकर राज्य के सभी जिलों के 534 प्रखंडों में कियाशील है। वर्त्तमान में बिहार राज्य में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह 72 हजार से अधिक ग्राम संगठन एवं 1618 संकुल स्तरीय संघ है। राज्य में 9.5 लाख स्वयं सहायता समूहों का बचत खाता के साथ बैंकों से जुड़ाव हो गया है। 9.02 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय रूप से संपोषित किया गया है। 5.12 लाख स्वयं सहायता समूहों को द्वितीय किस्त, 1.06 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को तृतीय एवं चतुर्थ किस्त के माध्यम से विभिन्न बैंकों के द्वारा लगभग 21527 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

जीविका संपोषित स्वयं सहायता समूहों का वित्तीय संस्थाओं से जुड़ाव का मुख्य उद्देश्य सभी सदस्यों का किसी न किसी आजीविका की गतिवधियों से जोड़ना है। इस प्रयास का नतीजा दीदियों के आर्थिक सशक्तीकरण का है। बिहार में लगभग 1.3 करोड़ से अधिक परिवार जीविका परियोजना के साथ जुड़ा हुया हैं, जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक परिवार आजीविका की किसी न किसी गतिविधि से जुड़े हुए हैं। आजीविका गतिविधियों में मुख्य रूप से कृषि, गैर – कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि से संबंधिति गतिविधियां हैं। जीविका परियोजना के माध्यम से समुदाय का आजीविका के विभिन्न स्रोतों से व्यापक जुड़ाव के कारण बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया है। वर्त्तमान में वित्तीय समावेशन के फलस्वरूप जो परिवार पूर्व में अत्यंत गरीब की श्रेणी में थे, आज उनके आजीविका गतिविधि से जुड़ जाने से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। महाजनी कर्जो एवं बेगारी से मुक्ति जीविका परियोजना की सबसे बड़ी सफलता है, जिसमें वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार की बात करें तो जीविका परियोजना के द्वारा बैंकों के माध्यम से 8 लाख से अधिक जीविका स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध करवाया गया है। जिसमें से 21 लाख से अधिक जीविका सदस्य कृषि गतिविधियों से, 27 हजार से अधिक परिवार गैर–कृषि उत्पादक समूहों से जुड़कर अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। 4 लाख से अधिक सदस्यों द्वारा सूक्ष्म उद्यम से जुड़कर अपने जीवन के बेहतर बना रही हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालन से संबंधित गतिविधियों से 64 हजार परिवार से अधिक परिवार जुड़कर सामाजिक सशक्तीकरण के साथ–साथ आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में निरंतरता के साथ गतिशील होकर आत्मनिर्भर हुई हैं।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णियाँ
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, बक्सर